<u>अति महत्वपूर्ण/मानव सम्पदा पोर्टल</u>

<u>संख्या-2/2024/207/सैतालीस-का-5-2024-(1788429)</u>

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ: 28 जून, 2024**

विषय:-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों को ससमय, सुरक्षित, त्वरित तथा पारदर्शी सेवायें प्रदान करने के संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल क्रियाशील है। राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से संपादित किये जाने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- राज्याधीन सेवाओं में समूह 'क' तथा 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-63/सैतालीस-का-का-5-2024-(1788429), दिनांक 24.02.2024 द्वारा समूह 'क' तथा 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किये जाने के संबंध में स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत किये जाने तथा प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य अंकित किये जाने हेतु टाइमलाइन भी निर्धारित की गयी है। आलोच्य वर्ष 2023-24 में स्वमूल्यांकन आख्या, प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य समय से अंकित न किये जाने की स्थिति में ऑटो फारवर्ड (Auto-Forward) की व्यवस्था न लागू किये जाने के निर्देश उपरोक्त शासनादेश दिनांक 24.02.2024 में दिये गये है। चूंकि यह व्यवस्था प्रथम बार की जा रही है तथा ऑनलाइन वार्षिक प्रविष्टि के लिए वर्क फ्लो जनरेशन में विभागों द्वारा आरम्भिक तकनीकी कठिनाईयों का सामना करना करना पड़ रहा है, अतएव समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए वर्क फ्लो जनरेशन की पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्धारित अंतिम तिथि 30.04.2024 को समय-समय पर बढाते हुए विभागों को एन०आई०सी० के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023-24 से समूह 'क' तथा 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। यह भी अवगत कराना है कि आलोच्य वर्ष 2023-24 में समूह 'क' तथा 'ख' के संबंधित अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2024 तक स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत न किये जाने की दशा में उक्त अधिकारी की रिक्त / शून्य स्वमूल्यांकन आख्या अगले स्तर पर ऑटो फारवर्ड (Auto-Forward) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में विशेष ध्यान देते हुए सर्वसंबंधित को यथावश्यक निर्देश देते हुए समस्त अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. राज्य विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कि आलोच्य वर्ष 2023-24 में समूह 'क' तथा 'ख' के संबंधित अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2024 तक स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उक्त अधिकारी की रिक्त / शून्य स्वमूल्यांकन आख्या अगले स्तर पर ऑटो फारवर्ड (Auto-Forward) Forward) कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
14. श्री ए०के रावत, वरिष्ठ निदेशक, एन०आई०सी० को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
15. गार्डफाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।